



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:—एफ 139()लेब/पंरावि/है.पं./विविध/2016-17

20301-03

जयपुर, दिनांक:— 05.12.16

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद—समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति—समस्त।

विषय:— पंचायत समितियों में कार्यरत हैण्ड पम्प मिस्त्रीयों एवं फिटर्स का वेतन भुगतान कोषालय के माध्यम से किये जाने के संबंध में संवेतन मद अन्तर्गत निजी निक्षेप खाते में माह नवम्बर पेड दिसम्बर, 2016 के वेतन भुगतान के पश्चात अवशेष राशि की सूचना भिजवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पंचायत समितियों में कार्यरत हैण्ड पम्प मिस्त्रीयों एवं फिटर्स का वेतन भुगतान कोषालय के माध्यम से माह नवम्बर पेड दिसम्बर, 2016 से आहरित कर भुगतान किये जाने के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये है। माह नवम्बर पेड दिसम्बर, 2016 का वेतन भुगतान कोषालय के माध्यम से आहरित किये जाने के उपरान्त पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खाते में बजट मद 2515-197-09-01 मद अन्तर्गत उक्त कार्मिकों के संवेतन मद में अवशेष राशि की सूचना निम्न प्रारूप में तीन दिवस में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावे। सूचना के अभाव में वित्तीय वर्ष 2016-17 की शेष अवधि हेतु संवेतन मद अन्तर्गत आपके पास पर्याप्त राशि की उपलब्धता मानते हुए बजट आवंटन नही किया जावेगा। जिसके लिए आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

अतः निम्न प्रारूप में सूचना तीन दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे:—

क्र. सं.	दिनांक 01.04.16 को बजट मद 2515 संवेतन मद अन्तर्गत अवशेष राशि	दिनांक 01.04.2016 से नवम्बर, 2016 तक बजट मद 2515 संवेतन मद अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में संवेतन मद अन्तर्गत मुख्यालय द्वारा कुल आवंटित राशि (2+3)	दिनांक 01.04.16 से नवम्बर पेड दिसम्बर, 2016 तक वेतन पर कुल व्यय राशि	नवम्बर पेड. दिसम्बर, 2016 के भुगतान पश्चात बजट मद 2515 संवेतन मद अन्तर्गत अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

भवदीय

(डा. अरविन्द मिश्रा)
वित्तीय सलाहकार